

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मये इनिशियल्स जजा

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

12-11-21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021  
कैम्प सुरास मेपेश हुई, अणार्थगण के सम्मन  
बाद तामिल छोकर प्राप्त हुए ऐव तहसीलपर  
माडल पटवार हल्ला पटवारी हरय रिपोर्ट प्राप्त  
हुई जिसे शा.पठ किया गया। प्रार्थन को प्रार्थना  
पत्र स्वीकार किया जाकर निर्विषयक से लिखा  
जाकर शा.पठ किया गया। पत्रावली के एक  
शुमार होकर नम्बर से कम हो।

**डॉ. पूजा सक्सेना**  
उपखण्ड अधि. नि. माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 36/21

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

1- श्री प्रताप सो. श्री गुलाब बलार निवासी - सुरास तहसील - मांडल

-- प्रार्थी

बनाम

1- श्री देव बहा सो. श्री कल्याण चंद बलार निवासी - सुरास तहसील - मांडल (वर्ग)

-- विपक्षी गण

(सिद्धांत प्र. पत्र संक. 4)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू. रा. अधि. 1956

:: आदेश ::

दिनांक 12-11-21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू. राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम..... सुरास..... पटवार हल्का..... सुरास..... तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 1956, 1957, 2003..... कुल किता ..... 04..... रकबा..... 0.8599 हेक्टेयर..... 2167/2002 स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी गण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक..... 24.2.21..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... सुरास..... पटवार हल्का..... सुरास..... तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 1956, 1957, 2003, 2167/2002..... कुल किता ..... 04..... रकबा..... 0.8599 हेक्टेयर..... भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... सेना..... को ..... 500/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी गण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला- भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियन्त्रण से पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

मांडल, जिला- भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021